कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छत्तीसगढ़)

" आदेश "

क्रमांक / 15900 / डीएमएफ / स्था / 2018, बलौदाबाजार, दिनांक 11.07.2018

छ.ग. शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / एफ 7–34 / 2016 / बारह / (क), नया रायपुर, दिनांक 26 जनवरी, 2018 में दिये गये निर्देशानुसार जिला खनिज संस्थान न्यास, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में भृत्य के 02 पद (01 पद अनारक्षित एवं 01 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित) पर चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर अधोवर्णित शर्तों के अधीन निम्नानुसार अभ्यर्थियों को आदेश दिनांक से 03 वर्षों के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

क्र.	नाम	पिता / पति का नाम	जाति	चयन प्रवर्ग	पदस्थापना / कार्यालय
1.	श्री सन्नी कुमार	श्री श्याम लाल	अनु0जाति	अनारक्षित	जिला खनिज संस्थान न्यास बलौदाबाजार–भाटापारा
2.	श्रीमती ललिता	श्री गेंद राम	अनु. जाति	अनु0जाति	

नियम एवं शर्ते

1. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमॉक एफ 9–1 / 2012 / 1–3 दिनांक 17.01. 2013 द्वारा जारी एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अधीन होगी, तथा तत्संबंध में छ0ग0 शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश यथास्थिति लागू होंगे।
2. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
3. उक्त नियुक्ति में छ0ग0 शासन के आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।
4. चयनित भृत्य को प्रतिमाह 4750 – 7440 + 1300 ग्रेड पे देय होगा तथा किसी भी अन्य प्रकार की पेंशन या भत्ते की पात्रता नही होगी।
5. संविदा अवधि आदेश दिनांक से 03 वर्ष के लिए मान्य होगी। विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा अवधि बढ़ाने का निर्णय किया जायेगा।
6. नियुक्ति के पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत / संलग्न शैक्षणिक एवं अनुभव सम्बन्धी दस्तावेजों का सत्यापन कराया जावेगा एवं त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में इनकी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।
7. नियुक्त अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से परीक्षण उपरांत स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कराना होगा। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई अयोग्यता पाई जाती है तो नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों का पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि पुलिस विभाग द्वारा चरित्र संबंधी कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है। तो नियुक्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

11/7/2018

9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः संविदा नियुक्ति दी जाती है तो उसके आधार पर कार्य का मूल्यांकन हो सकें।
10. चयनित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थान अर्थात् मुख्यालय में निवास करना अनिवार्य होगा।
11. संविदा नियुक्त पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी एवं बिना कारण बताये कभी भी समाप्त की जा सकती है, अनुबंध अवधि के दौरान दोनो पक्षों मे किसी भी एक पक्ष द्वारा 01 माह पूर्व लिखित सूचना या उसके एवज में 01 माह का एक मुश्त वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
12. अनुबंध संविदा नियुक्ति की समाप्ति के लिये पृथक से कोई भी पत्र जारी नही किया जायेगा, वह उल्लेखित अवधि के पश्चात् स्वमेंव समाप्त हो जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा नियुक्ति के रूप में दी गई सेवा एवं सेवा अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन/उपादान/मृत्युलाभ आदि की पात्रता नही होगीं।
14. अभ्यर्थी को जिला खनिज संस्थान न्यास हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. चयनित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 10 दिन की अवधि के भीतर कार्य पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

11/7/2018

(जे0पी0पाठक),
कलेक्टर,
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा

पृ0 क्रमांक/15901/डीएमएफ/स्था/2018, बलौदाबाजार, दिनांक 11.07.2018
प्रतिलिपिः-

1. सचिव, छ.ग. शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संभाग आयुक्त, संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बलौदाबाजार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित श्री ------------------------------को सूचनार्थ एवं पालनार्थ तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक उपस्थिति न दिए जाने की स्थिति में आपकी नियुक्ति स्वमेंव निरस्त मानी जावेगी।

11/7/2018

(जे0पी0पाठक),
कलेक्टर,
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा